

डिक्री एवं मुकदमें इवतदाई

(ओ.20 रुल 6-7 जाबता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 99/2025

1. सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
2. सुखजीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

-वादीगण

बनाम्

1. बलवन्त सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
2. जगदेव सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
3. सुखदेव सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
4. बलदेव सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
5. हरप्रीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपरिस्थिति :-

- वादीगण की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट
प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 24.3.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष वारते इनफिरसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील वादीगण गिन जामिन मुदई तथा श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 गिन जामिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं कि

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादीगण का खाता दावा की दफा 5 के मुताबिक अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमलदरामद किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा चक 5 एच.आर.पी. के खाता सं. 242/92 खाता जगदेव सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 (जमाबन्दी 2078) में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज कुल 1.517 है. आराजी में से 1.132 है. आराजी वादी सं. 1 सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह के नाम तथा शेष 0.385 है. आराजी प्रतिवादी सं. 3 सुखदेव सिंह पुत्र श्री छोदू सिंह के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1,2 व 4 बलवन्त सिंह, जगदेव सिंह, बलदेव सिंह पुत्रगण श्री छोदू सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता सं. 219/115 खाता बलवन्त सिंह वगैरा में वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कुल 0.921 है. कृषि भूमि में से 0.368 है. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 2 जगदेव सिंह पुत्र श्री छोदू सिंह के नाम तथा शेष 0.553 है. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 बलवन्त सिंह पुत्र श्री छोदू सिंह के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा उक्त खाता में से वादी सं. 1 सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता सं. 170/85 खाता सुखविन्दर सिंह में दर्ज कुल 0.253 है. आराजी वादी सं. 2 तथा प्रतिवादी सं. 5 सुखजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, पुत्रगण श्री बलदेव सिंह के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादी सं. 1 सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह का नाम कलमजन किया जावे। दावा की दफा 5 निम्न प्रकार से है:-


(क) वादी सं. 1 सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह का हिस्सा:-

चक 5 एच.आर.पी. खाता सं. 240/92

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
178/114	55	17/2/0.019 है., 18/2/0.040 है., 23/0.253 है., 24/2/0.061 है.,
178/115	62	3/0.253 है., 4/0.253 है., 5/1/0.202 है., 5/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता, 5/3/0.026 है. गै.मु. खाला <u>कुल 1.132 है.,</u>

(ख) वादी सं. 2 सुखजीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह तथा प्रतिवादी सं. 5 हरप्रीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह का ब.हि.ब. का हिस्सा:-

लगातार --3


महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक 5 एच.आर.पी. खाता सं. 170/85

प.नं. मु.नं. कि.नं.
177/109 8 17/0.253 है.,

कुल 0.253 है.,

(ग) प्रतिवादी सं. 1 बलवन्त सिंह पुत्र श्री छोदू सिंह का हिस्सा:-

चक 5 एच.आर.पी. खाता सं. 219/115

प.नं. मु.नं. कि.नं.
178/109 7 21/1/0.127 है., 22/0.253 है.,
19/2/0.107 है., 10/3/0.066 है.,

कुल 0.553 है.,

(घ) प्रतिवादी सं. 1 जगदेव सिंह पुत्र श्री छोदू सिंह का हिस्सा:-

चक 5 एच.आर.पी. खाता सं. 219/115

प.नं. मु.नं. कि.नं.
178/109 7 18/3/0.050 है., 19/1/0.044 है.,
20/2/0.021 है., 23/0.253 है.,

कुल 0.363 है.

(ङ) प्रतिवादी सं. 3 सुखदेव सिंह पुत्र श्री छोदू सिंह का हिस्सा:-

चक 5 एच.आर.पी. खाता सं. 240/92

प.नं. मु.नं. कि.नं.
178/114 55 24/3/0.178 है.(कि.नं. 25 से चिपता हुआ),
25/2/0.025 है.गै.मु. खाला, 25/5/0.0182 है.,

कुल 0.385 है.

निजX..... निलX..... मुब्लिकX.....निलX..... बाबत
.....X.....निल...100/..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना
आज की तारीख वसूलयाबी तकX.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 24.3.2020
को जारी किया जाता है।

(जय कौशिक)

महासक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (रोजस्व),
संगरिया